न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज आर. ए. एस)

राजस्व वाद संख्या–106 / 2022

वादीगण

1 जगराम पुत्र हरजीराम
2 गोमाराम पुत्र मगाराम
3 मुलाराम पुत्र मगाराम
4 टीपुदेवी पत्नी मगाराम
5 मानीदेवी पुत्री हरजीराम
6 वगतुदेवी पुत्री हरजीराम
जाति जाट निवासी माताजी की भाखरी पटवार हल्का संतरा तह. गिड़ा जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 हरजीराम पुत्र ताजाराम
2 केशाराम दतक पुत्र अणदाराम
3 देराजराम पुत्र ताजाराम
4 हड़मानराम पुत्र हरजीराम
5 बालाराम पुत्र हरजीराम
जाति जाट निवासी माताजी की भाखरी पटवार हल्का संतरा तह. गिड़ा जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1 श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2 श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01
3 श्री जगदीश गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 04, 05

–: संशोधित निर्णय :– **दिनांक** : 19/01/2023

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक भूमि मौजा माताजी की भाखरी पटवार मण्डल संतरा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 252, 258, 393 / 246 रकबा क्रमशः 12.4643, 15.3780, 5.7789 हैक्टेयर एवं मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 74, 76 रकबा क्रमशः 15.8960, 0.5261 हैक्टयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ही पूर्वज ताजाराम के वंशज है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता तथा बाद में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4, 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर , प्रतिवादी संख्या 4 ,5 द्वारा प्रतिदावा व वादपत्र का जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबाली जवाब लिखित में पेश कर , वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 4, 5 के प्रतिदावा के समस्त पदो को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं जगराम पुत्र हरजीराम का शपथ पत्र PW1 व गोमाराम वुत्र

मगाराम का शपथ पत्र PW2 व स्वतंत्रगवाह के रूप में अमेदाराम पुत्र वगताराम का शपथ पत्र PW3 पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के अधिवक्ता को सुना गया। कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4, 5 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4, 5 के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4, 5 उनके पूर्वज ताजाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 4, 5 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4, 5 को सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा भूमि मौजा माताजी की भाखरी पटवार मण्डल संतरा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 252, 258, 393/246 रकबा क्रमशः 12.4643, 15.3780, 5.7789 हैक्टेयर एवं मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के

खेत खसरा नम्बर 74, 76 रकबा क्रमशः 15.8960, 0.5261 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि यदि बैंक में रहन है तो पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

19/1/2023

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 19/01/2023 को सुनाया गया।

19/1/2023

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

संशोधित अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री मनोज आर. ए. एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1 जगराम पुत्र हरजीराम वगैरा 06 , निवासी– माताजी की भीखरी पटवार हल्का संतरा तह. गिड़ा, जिला बाड़मेर		2 हरजीराम पुत्र ताजाराम वगैरा 05 जति जाट, निवासी– माताजी की भीखर पटवार हल्का संतरा, तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा **88** , 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

राजस्व वाद संख्या–106 / 2022 निर्णय दिनांकः– 19/01/2023

वादीगण वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी संख्या 1 वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी व प्रतिवादी संख्या 4, 5 वकील श्री जगदीश गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी श्री मनोज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता हे और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा माताजी की भीखरी, पटवार हल्का संतरा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नंबर क्रमशः 252, 258, 393 / 246 रकबा क्रमशः 12.4643, 15.3780, 5.7789 हैक्टयर एवं मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नंबर 74, 76 रकबा क्रमशः 15.8960 , 0.5261 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारन अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/01/2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

19/1/2023
(मनोज)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	